

मूल वाद में डिब्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी
(पीठासीन अधिकारी श्री उम्मेद सिंह रतनूलोक अदालत /कैम्प कोर्ट नाईवाला)

1. अमरजीत सिंह पुत्र सलविन्द्र सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी ।
2. हरदीप सिंह पुत्र यादविन्द्र सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी ।

बनाम

-वादीगण

1. बचन सिंह पुत्र गुजर सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी ।
2. यादविन्द्र सिंह उर्फ यादवेन्द्र सिंह पि0 बचन सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी ।
3. सलविन्द्र सिंह उर्फ सलवेन्द्र सिंह पि0 बचन सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी ।
4. बलविन्द्र कौर पत्नी बलवीर सिंह पुत्री बचन सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी सेनपाल तहसील रानिया जिला सिरसा ।
5. लखविन्द्र कौर पत्नी बलकार सिंह पुत्री सलविन्द्र सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी 16 पी.एस. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर ।
6. जसवीर कौर पत्नी हरविन्द्र सिंह पुत्री सलविन्द्र सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी ज्वाला वाला तहसील केसरीसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर ।
7. नरेन्द्र कौर पत्नी सलविन्द्र सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी ।
8. तिजेन्द्र सिंह पुत्र सलविन्द्र सिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता नरेन्द्र कौर पत्नी सलविन्द्र सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी ।
9. सर्वजीत कौर पुत्री यादविन्द्र सिंह जाति कम्बोज सिख निवासी सूरेवाला तहसील टिब्बी ।

-प्रतिवादीगण

प्रकरण संख्या:-333/2018

वादपत्र अन्तर्गत धारा:-88,53 आरटीए

निर्णय दिनांक:-8.6.2018



वादीगण की ओर से श्री नरेन्द्रपाल वर्मा एडवोकेट एवं प्रतिवादीगण की ओर से श्री करनैलसिंह एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 8.6.2018 को उम्मेदसिंह रतनूलोक उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिब्री दी जाती है कि:-

(क)-वादी स0 1 अमरजीत सिंह को चक 12 सीडीआर के खाता स0 110/105 के प0 न0 216 /265 मु0 न0 39 के किला न0 16/2/.127, 9,17,21,22 कुल 1.139 हैक्टेयर कृषि भूमि तथा इसी चक के खाता स0 150/153 के प0 न0 216/265 के मु0 न0 39 के किला न. 11, 12, 13 की .759 हैक्टेयर कृषि भूमि तथा इसी चक के खाता स0 199/186 के प0 न0 216/265 मु0 न0 39 के किला न0 19/1/.226, 20/.253 हैक्टेयर एवं चक न0 12 सीडीआर के खाता स0 105/104 में संयुक्त खाता में कुल .656 हैक्टेयर कृषि भूमि में से प्रतिवादी स0 1 बचन सिंह के हिस्सा की 0.126 हैक्टेयर कृषि भूमि व चक 2 एस.आर.डब्ल्यू के संयुक्त खाता स0 3/6 में दर्ज कुल 0.759 हैक्टेयर कृषि भूमि में प्रतिवादी स0 1 बचन सिंह के नाम से दर्ज कृषि भूमि .670*1/2 हैक्टेयर में से .164*1/2 हैक्टेयर कृषि भूमि वादी स0 1 अमरजीत सिंह को प्राप्त हुई है।

अधिकारी एवं
अधिक कलेक्टर
टिब्बी

(ख)-वादी स0 2 हरदीप सिंह को चक न0 13 सीडीआर के खाता स0 174/148 में संयुक्त खाता में कुल 2.804 हैक्टेयर कृषि भूमि में प्रतिवादी स0 1 बचन सिंह की .160 हैक्टेयर कृषि भूमि प्राप्त हुई है। चक 12 सीडीआर के खाता स0 110/105 के प0 न0 216/265 मु0 न0 3 के किला न. 18, 23/.506, चक न. 12 सीडीआर के खाता स0 199/186 प0 न0 216/265 मु0 न0 39 के किला न0 19/2/.027 हैक्टेयर, चक नम्बर 13 सीडीआर के खाता स0 111/94 में कुल 1.206 हैक्टेयर कृषि भूमि वादी स0 2 हरदीप सिंह को प्राप्त हुई है।

(न)-प्रतिवादी स० 2 शालविन्द्र सिंह उर्फ शालवेन्द्र सिंह को चक 5 एस.आर.डब्ल्यू. के खाता स० 45/46 के प० न० 215/267 मु.नं.2 के किला न० 1,2,9,10,11,12,19,20,21,22,प.नं. 215/268 मु. नं. 3 के किला न० 1/.253 की कृषि भूमि, चक 12 सीडीआर के खाता स. 150/153 के प० न० 215/266 मु० न० 57 के किला न० 21, 22/.506 हैक्टैयर कृषि भूमि, चक 12 सीडीआर के खाता स० 182/179 में संयुक्त खाता में कुल 4.807 हैक्टैयर में से प्रतिवादी स० 3 शालविन्द्र सिंह के नाम .253 हैक्टैयर कृषि भूमि प्रतिवादी स० 2 को प्राप्त हुई है।

(ख)-प्रतिवादी स० 3 शालविन्द्र सिंह उर्फ शालवेन्द्र सिंह को चक 5 एस.आर.डब्ल्यू. के खाता स० 45/46 के प० न० 215/267 मु. न. 2 के किला न० 3, 4, 5, 8, 13, 14, 18 की 1.771 हैक्टैयर कृषि भूमि, चक 5 एस.आर.डब्ल्यू. के खाता स. 64/62 के प. न. 215/267 मु. न. 2 के किला न० 7/.253 की कृषि भूमि, चक 2 एस.आर.डब्ल्यू. के संयुक्त खाता स. 3/6 में .759 हैक्टैयर में से प्रतिवादी स० 1 के नाम दर्ज .670*1/2 हिस्सा में से .506 हैक्टैयर कृषि भूमि एवं चक न० 12 सीडीआर के खाता स० 150/153 में कुल 2.024 हैक्टैयर में से प० न० 215/266 मु० न० 57 के किला न० 23, 24, 25 की .759 हैक्टैयर कृषि भूमि प्राप्त हुई है।

उपर्युक्तानुसार चक न० 5 एस.आर.डब्ल्यू. के खाता स० 45/46, चक न० 2 एसआरडब्ल्यू. के खाता स० 3/6, चक न० 13 सीडीआर के खाता स० 174/148, चक 13 सीडीआर के खाता स० 111/94 एंवम चक न० 12 सीडीआर के खाता स० 105/104 में से प्रतिवादी स० 1 बचन सिंह का नाम कलमजन किया जावे तथा चक 12 सीडीआर के खाता स० 110/105 में से प्रतिवादी स० 1 बचन सिंह का हिस्सा कम किया जावे एंवम चक 12 सीडीआर के खाता स० 150/153 में से प्रतिवादी स० 2 का हिस्सा कम किया जावे एंवम इसी चक के खाता स० 182/179 व खाता स० 199/186 से प्रतिवादी स० 3 का नाम कलमजन किया जावे। चक 5 एस.आर.डब्ल्यू. के खाता स० 64/62 से प्रतिवादी स० 2 का नाम कलमजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे है तथा उपरोक्त अनुसार खाता अलग से कायम किया जाकर रकम राज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रतिवादी स० 2 का नाम शालविन्द्र सिंह तथा प्रतिवादी स० 3 का नाम शालविन्द्र सिंह राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। प्रतिवादी स० 1 ने अपना समस्त हिस्सा प्राप्त कर लिया व भविष्य में प्रतिवादी स० 3 शालविन्द्र सिंह से कोई हक व हिस्सा की मांग नहीं करेगा। उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में चादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 8.6.2018 को राजस्व लोक अदालत ग्राग पंचायत नाईवाला में मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(उम्मेद सिंह रतनू)
पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

| वाद के खर्चे वादी | रूपया | प्रतिवादी | रूपया |
|---------------------------------|--------|-------------------------------|-------|
| 1. वादपत्र के लिए स्टाम्प | 1100/- | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | 0 |
| 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | 0 | अर्जी के लिए स्टाम्प | 0 |
| 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प | 0 | प्लीडर की फीस | 0 |
| 4.रूपये पर प्लीडर की फीस | 0 | साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | 0 |
| 5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | 0 | आदेशिका की तामील | 0 |
| 6 कमिश्नर की फीस | 0 | कमिश्नर की फीस | 0 |
| 7 आदेशिका की तामील | 0 | | 0 |
| जोड़ | 1100/- | जोड़ | 0 |